न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. ईश्वरचन्द पुत्र पुखराज जाति खत्री निवासी भंवार सेडवा जिला बाड़मेर (मैसर्स विकास किराणा स्टोर, सेडवा का मालिक)
2. चुन्नीलाल पुत्र शिवलाल जाति खत्री निवासी भंवार, सेडवा जिला बाड़मेर (मैसर्स चुन्नीलाल एण्ड कम्पनी, सेडवा बाड़मेर का मालिक)
3. घीसू लाल भाटी, अनुपम केडी हाउस अमरनाथ कॉलोनी, जालोर चौराहा, सुमेरपुर, पाली भागीदार मैसर्स अनुपम टी सेंटर, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर, पाली
4. लखमा राम भाटी, घांचियों का वास, पोमावा, सुमेरपुर, पाली भागीदार मैसर्स अनुपम टी सेंटर, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर, पाली
5. छोगाराम भाटी, घांचियों का वास, पोमावा, सुमेरपुर, पाली भागीदार मैसर्स अनुपम टी सेंटर, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर, पाली
6. हीरा लाल भाटी, अमरनाथ कॉलोनी, जालोर चौराहा, सुमेरपुर, पाली भागीदार मैसर्स अनुपम टी सेंटर, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर, पाली

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री हाकमसिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 31.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक **06.01.2021** को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स विकास किराणा स्टोर, सेडवा जिला बाड़मेर** का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड गोल्डन कप (500 ग्राम)** जो कि एक कार्टून में रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **500–500 ग्राम के कुल 4 पैकेट चाय ब्राण्ड गोल्डन कप (500 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या **पी–1309** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड गोल्डन कप (500 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **चाय ब्राण्ड गोल्डन कप (500 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप नहीं है क्योंकि यदि नमूना मिथ्याछाप होता तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नंबर 5ए एवं मौका फर्द में इसका हवाला दिया जाता। जहां तक नमूना मिथ्याछाप का प्रश्न है जन विश्लेष्क का कार्य नमूने की रासायनिक जांच करना होता है न कि आंखों से देख–निरीक्षण कर नमूने को मिथ्याछाप बताना। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि उनके इस कृत्य से उन्होंने न तो कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है और न ही यह कृत्य बारम्बार है। उचित उपबंधों की जानकारी के अभाव में अप्रार्थीगण निर्दोष है। लिहाजा उसके विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत एवं सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के अधिवक्ता ने समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 18.01.2021 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

अपने जवाब में निवेदन किया कि उनके इस कृत्य से उन्होंने न तो कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है और न ही यह कृत्य बारम्बार है। उचित उपबंधों की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी निर्दोष है। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के अधिवक्ता ने बहस में प्रकट किया कि नमूना खाद्य सुरक्षा के सम्पूर्ण मानदण्डों के अनुरूप पाया गया है तथा किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ चाय की पैकिंग की जाकर विक्रय किया जा रहा है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा पैकर्स का पता पूर्ण रूप से अंकित किया है इसके बावजूद निर्धारित विनियमों के अनुसार नहीं होने से मिथ्याछाप का आरोप लगाया गया है। अप्रार्थीगण भविष्य में इस त्रुटि का सुधार कर लेंगे। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध नरम रूख अपनाया जावें। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से प्रकट तथ्यों से एवं नमूना विश्लेषण की रिपोर्ट से भली–भांति रूप से खाद्य सुरक्षा विनियम का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण संख्य 3 से 6 के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 31.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:56 IST
Reason: SelfAttested